**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 958**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**रेलवे के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति**

**958. श्री टी॰ रतिनावेलः**

**श्री आर॰ वैद्यलिंगमः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा संबंधी पदों पर कर्मचारियों की कमी के कारण रेलवे ने मंडलीय रेल प्रबंधकों को उपयुक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेल कार्मिकों को पुनर्नियुक्त करने का अधिकार दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे ने पुनर्नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा रेल सुरक्षा के प्रयोजन से कर्मचारियों की भर्ती हेतु उठाए गए अन्य कदम क्या हैं?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

रेलवे के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में 22.12.2017 को राज्य सभा में श्री टी. रतिनावेल और श्री आर. वैद्यलिंगम द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 958 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण**।

(क) और (ख): जी हाँ, विभिन्न श्रेणियों के पदों में कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए, मंडल रेल प्रबंधकों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ शर्तों पर पुनर्नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

(i) रेलवे को इस तरह की पुन: नियुक्ति के बारे रेलवे वेबसाइटों में इसकी सूचना डालकर इसका प्रचार करना चाहिए।

(ii) इस तरह के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति करते समय, विद्यमान पद्धति के अनुसार नामित प्राधिकरणों से उनकी उपयुक्‍त श्रेणी की चिकित्सा उपयुक्तता प्राप्त किया जाना चाहिए।

(iii) इस तरह की पुनर्नियुक्ति करने से पहले कर्मचारियों की उपयुक्तता/योग्यता का आकलन किया जाना चाहिए और उनके संरक्षा रिकॉर्ड के मुद्दे के साथ-साथ जरूरत के अनुसार अन्य परिचालनिक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से देखा जाना चाहिए।

(iv) पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष जारी रखी जाएगी।

(v) पुनर्नियुक्ति किए जा रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, संरक्षा से संबंधित सेवानिवृत्त योजना/ संरक्षा कर्मचारी हेतु गारंटीकृत रोजगार के लिए उदारीकरण सक्रिय सेवानिवृत्त योजना (एलएआरजीईएसएस) कवर नहीं होना चाहिए।

(vi) यह योजना 01.12.2019 तक वैध है।

(ग): भारतीय रेल पर विभिन्न गैर-राजपत्रित पदों के लिए, रेलवे भर्ती एजेंसियां नियमित रूप से संरक्षा श्रेणी के पदों के लिए रेलवे/उत्पादन इकाइयों को सफल उम्मीदवारों का पैनल मुहैया करा रही हैं। संरक्षा श्रेणी के लिए कुछ भर्ती प्रक्रियाएं 2017-18 के लिए निर्धारित हैं।

\*\*\*\*\*